न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—175/2018/223 (2018/00175)

1. हीरालाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र,
2. श्यामलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र,
   जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम बाड़ी, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती नानी देवी पुत्री स्व0 रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम बाड़ी, हाल नि0 ग्राम जालिया द्वितीय तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर ।
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र,
3. कन्हैयालाल पुत्र स्व0 मांगीलाल,
4. जेठमल पुत्र गंगाराम,
   समस्त जाति ब्राहमण, नि0 ग्राम बाड़ी, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व विरूद्व निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, दिनांक 8.6.2018 अंतर्गत वाद संख्या 65/2010.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री वैभव कृष्ण पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री दिनेश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 24.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाडी, पटवारी क्षैत्र बाडी तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर में स्थित खसरा नंबर 249 रकबा 5—14—00, 405 रकबा

3–6–10, खसरा नंबर 631 रकबा 00–2–10, खसरा नंबर 685 रकबा 00–2–10, खसरा नंबर 334 रकबा 2–17–00, खसरा नंबर 572 रकबा 00–01–10, खसरा नंबर 573 रकबा 01–13–00, खसरा नंबर 630 रकबा 01–11–00, **688 रकबा 2–5–10,** खसरा नंबर 405/1905 रकबा 4–9–00, खसरा नंबर 1104 रकबा 6–1–0, खसरा नंबर 1157 रकबा 2–15–10, खसरा नंबर 334/1 रकबा 4–10–00, खसरा नंबर 477 रकबा 8–19–00 स्थित है । वादिया के पिता रामचन्द्र के निहित हिस्से में से वादिया का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा हिस्सा निहित है । वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की पुश्तैनी होकर काबिज काश्त चले आ रहे है । वादिया अपने हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अलग से हिस्सा दर्ज करवाकर अपने हिस्से की भूमि को विकसित करने एवं नये चाह का निर्माण करने व ऋण इत्यादि प्राप्त करने के लिये हिस्सा विभाजन चाहती है । वादिया का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज न होने व हिस्सा विभाजन नहीं होने से वादिया को ऋण प्राप्त करने अपने हिस्से याबी आराजी को तरक्की देने लगान जमा कराने व सिंचाई इत्यादि में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । अतः वाद स्वीकार कर वादिया को विवादित आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादिया के 1/4 हिस्से तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्से के अनुसार विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 8.6.2018 द्वारा वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को बिना कैम्प कोर्ट के नोटिस जारी किये दौराने कैम्प अपीलांटस के हितों के विपरीत जाकर एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौके की भौतिक स्थिति को नजरअंदाज कर एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 में दिनांक 15.3.2018 को पत्रावली वादी साक्ष्य में विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 5.4.2018 नियत की गई । तथा आगामी पेशी दिनांक 8.6.2018 को दौराने कैम्प प्रतिवादी अभिभाषक की उपस्थिति बाबत् आदेशिका में हाजिर होने के हस्ताक्षर किये किन्तु बिना किसी अन्य पक्षकार को सुने एवं अपूर्ण पत्रावली का अंतिम निर्णय कर दिया । वादपत्र में अंकित आराजी खाता संख्या 810 के खसरा संख्या 249 रकबा 5–14–00, खाता संख्या 507 के खसरा संख्या 405 रकबा 3–6–10, खसरा संख्या 631 रकबा 00–2–10, खसरा संख्या 685 रकबा 00–2–10, खसरा नंबर 334 रकबा 2–17–00, खसर संख्या 572 रकबा 00–01–10, खसरा संख्या 573 रकबा 01–13–00, खसरा संख्या 630 रकबा 1–11–00, खसरा संख्या 688 रकबा 2–5–10 कुल किता 8 कुल रकबा 11–19–10 बीघा, खाता संख्या 729 के खसरा संख्या 405/1905 रकबा 4–9–00, खसरा संख्या 1104 रकबा 6–7–00, खसरा संख्या 1157 रकबा 2–15–10, खसरा संख्या 334/1 रकबा 4–10–00, खसरा संख्या 477 रकबा 8–19–00 कुल किता 5 कुल रकबा 27–00–10 बीघा आराजी वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन का वाद लेकर आयी थी किन्तु वादिया ने वाद में समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना वाद

पेश किया है जो धारा 53 एवं धारा 211 राज0काश्त0अधि0 की मंशा के विपरीत होने से संधारण योग्य नहीं था । वादिया ने खसरा संख्या 249 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस ने आद0आर0टी0 2001 (2) पेज 972, आर0बी0जे0 2001 पेज 442 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दौराने कैम्प प्रकरण वादी की साक्ष्य जिरह में नियत था जो बिना साक्ष्य वादिया जिरह एवं प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने समस्त मौजूदा खातेदारान को वाद में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 रामचंद्र की खातेदारी की आराजियात थी । रामचंद्र की मृत्यु उपरांत उसकी खातेदारी आराजियात में उसके समस्त वारिसान का बराबर–बराबर हक व हिस्सा है किन्तु रामचन्द्र की मृत्यु उपरांत उसकी खातेदारी की आराजियात केवल अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 2 के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 465 दर्ज कर दी गई जो गलत इंद्राज है जबकि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का भी 1/4 हिस्सा है । विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 का 1/4 हिस्सा होने से वह अपने हिस्से के विभाजन की डिक्री प्राप्त करने की भी अधिकारिणी है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 में वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया गया था जिसे अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 22.5.2014 द्वारा निरस्त किया है । अपीलांटस ने जो ऐतराज प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में उठाये थे वे ही ऐतराज इस अपील में उठाये गये है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं कायम तनकियात का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण उपरांत वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने रेस्पो0 संख्या 1 की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलाटस खारिज करने का निवेदन किया ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली वादी जिरह में विचाराधीन थी किन्तु अधी0न्याया0 ने वादी से जिरह से पूर्व ही पत्रावली को कैम्प कोर्ट में रखकर वाद निर्णित कर दिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 5.4.2018 को पत्रावली वादी जिरह में थी जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.6.2018 को नियत की गई । दिनांक 8.6.2018 को अधी0न्याया0 ने वादी जिरह से पूर्व ही वादी के वाद को निर्णित कर दिया है जो निश्चित रूप से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व

डिक्री दिनांक 8.6.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर